


मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—: आदेश :—

भोपाल, दिनांक/१७ जनवरी, 2013
क्रमांक/६९ /१६ /2012/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री
निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र" योजना के तहत प्रदेश में जनमानस को जेनेरिक दवाईयों
(Generic medicines) प्रदाय की जाती है। प्रदेश में संचालित शासकीय चिकित्सालय
परिसर में दवा दुकाने यदि संचालित हैं तो उन्हें बंद करने की कार्यवाही की जाए।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- पृ. क्रमांक/ ६९ /१६ /2012/सत्रह/मेडि-3, भोपाल, दिनांक/१७ जनवरी, 2013
1. निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री जी, म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, म० प्र० शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 4. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 6. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
 8. उप संचालक (विज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
 9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
 10. स्टॉक फाईल।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग